



ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

भूखण्ड संख्या - 01, सेक्टर - नॉलेज पार्क - 04, ग्रेटर नोएडा सिटी, जिला - गौतमबुद्ध नगर - 201310

F 75-6742

पत्रांक : सम्पत्ति /अ.मु.का.अ./2020 | 331

दिनांक : 22/01/2020

कार्यालय आदेश

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 117वीं बोर्ड बैठक के कार्योत्तर स्वीकृति की प्रत्याशा के क्रम में वित्तीय वर्ष 2016-17 तक ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की आवंटित आवासीय भूखण्ड व विल्टअप भवनों की योजना के लिए ओ0टी0एस0 योजना (One Time Settlement Policy) को निम्न शर्तों के साथ दिनांक 31.03.2020 तक बढ़ायी जाती है :-

(क) एक मुश्त समाधान पॉलिसी (One Time Settlement Policy) के अन्तर्गत आवेदन प्राप्त किये जाने की प्रक्रिया:-

1. ओ0टी0एस0 योजना वित्तीय वर्ष 2016-17 तक की आवासीय (भूखण्ड/भवन) योजनाओं में केवल उन प्रकरणों पर लागू होगी जोकि वर्तमान में डिफाल्टर है। भविष्य की देयता पर यह योजना लागू नहीं होगी।
2. ओ0टी0एस0 के अन्तर्गत, जिन आवंटियों द्वारा एक बार लाभ प्राप्त किया जा चुका है। उन प्रकरणों में यह योजना लागू नहीं होगी।
3. वित्तीय वर्ष 2016-17 तक आवासीय (भूखण्ड/भवन) योजनाओं के आवंटियों को प्राधिकरण के सम्बन्धित विभाग द्वारा पत्र के माध्यम से ओ0टी0एस0 योजना के समस्त विकल्पों के साथ उनकी देयता की सूचना दी जाये।
4. उक्त प्रकार के समस्त आवंटियों की सूची जिसमें देयता का पृथक-पृथक उल्लेख हो। प्राधिकरण की वेबसाईट पर प्रदर्शित की जाये।
5. ओ0टी0एस0 योजना, प्राधिकरण द्वारा आवंटन पद्धति से आवंटित आवासीय भूखण्ड/ निर्मित भवनों के आवंटियों पर लागू होगी, अन्य किसी प्रकार की योजना पर यह सुविधा लागू नहीं होगी।
6. ओ0टी0एस0 योजना के अन्तर्गत दिनांक 20.01.2020 से दिनांक 31.03.2020 तक आवेदन करने पर 150 वर्गमीटर से कम आकार वाले भूखण्ड एवं भवनों के आवंटियों हेतु प्रोसेसिंग फीस रु 2000.00 तथा 150 वर्गमीटर से अधिक आकार वाले भूखण्डों एवं भवनों के आवंटियों हेतु रु 5000.00 प्रोसेसिंग फीस जमा करानी होगी, जिसका समायोजन किसी भी देयता में न किया जाये।
7. ओ0टी0एस0 योजना हेतु आवंटी को वर्तमान तक आवंटन के सापेक्ष समस्त प्रकार की अति देयता (Defaulted Amount + 64.7% Additional Compensation + Late Lease Deed Penalty) के कुल योग का 40 प्रतिशत (जो कि जमा होने वाली धनराशि आगणित लागत/देय धनराशि में समायोजित की जायेगी) को जमा करना होगा।
8. ओ0टी0एस0 योजना के अन्तर्गत आवेदक को आवेदन के साथ पत्राचार का पूर्ण पता अंकित करना होगा।
9. एक मुश्त समाधान पॉलिसी (One Time Settlement Policy) के अन्तर्गत आवंटी द्वारा आवेदन करने की तिथि वह मानी जायेगी, जिस तिथि को आवेदनकर्ता द्वारा ओ0टी0एस0 आवेदन के साथ अपेक्षित प्रोसेसिंग फीस तथा प्रारम्भिक धनराशि जमा कर दी गयी है। आवेदन पंजीकृत डाक व प्राधिकरण के डिस्पैच काउन्टर पर स्वीकार किये जायेगें तथा सम्बन्धित विभाग प्राप्त प्रार्थना पत्रों का पृथक से रजिस्ट्रर बनाकर प्राप्त आवेदनों का विवरण उस रजिस्ट्रर में दर्ज करेगा।
10. ओ0टी0एस0 योजना हेतु निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाये।



ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

भूखण्ड संख्या - 01, सैक्टर - नॉलेज पार्क - 04, ग्रेटर नोएडा सिटी जिला - गौतमबुद्ध नगर - 201310

(ख) एक मुश्त समाधान पॉलिसी (One Time Settlement Policy) में आवंटियों को दी जाने वाली छूट:-

क - प्रीमियम डिफाल्ट के सापेक्ष छूट

क.1 ओटीएसओ योजना के अन्तर्गत प्रीमियम के सापेक्ष सभी डिफाल्ट आवंटियों से साधारण ब्याज, जो सम्पत्ति के आवंटन के समय किस्तों के निर्धारण पर लागू ब्याज दर के बराबर होगा लिया जायेगा। यदि किसी आवंटी द्वारा ओटीएसओ योजना लागू होने से पूर्व समस्त भुगतान किया जा चुका है तो उन प्रकरणों पर यह योजना लागू नहीं होगी।

क.2 आवंटियों से प्रीमियम के सापेक्ष किसी भी प्रकार का दण्डात्मक ब्याज नहीं लिया जायेगा। डिफाल्ट अवधि का ब्याज विन्दु संख्या "क-1" के अनुसार लिया जायेगा।

ख - 64.7% अतिरिक्त प्रतिकर के सापेक्ष छूट

ख.1 ओटीएसओ योजना के अन्तर्गत 64.7% अतिरिक्त प्रतिकर के सापेक्ष सभी डिफाल्ट आवंटियों से 9.5% साधारण ब्याज दर से ब्याज लिया जायेगा। यदि किसी आवंटी द्वारा ओटीएसओ योजना लागू होने से पूर्व समस्त भुगतान किया जा चुका है तो उन प्रकरणों पर यह योजना लागू नहीं होगी।

ख.2 आवंटियों से 64.7% अतिरिक्त प्रतिकर के सापेक्ष किसी भी प्रकार का दण्डात्मक ब्याज नहीं लिया जायेगा। डिफाल्ट अवधि का ब्याज विन्दु संख्या "ख-1" के अनुसार लिया जायेगा।

ग - अपंजीकृत लीजडीड में आरोपित लीजडीड विलम्ब शुल्क के सापेक्ष छूट

ग.1 ओटीएसओ योजना के अन्तर्गत केवल वे आवंटी जिनके द्वारा भूखण्ड व भवन की लीजडीड निष्पादित नहीं करायी गयी है। उन प्रकरणों में नियमानुसार निम्नवत छूट अनुमन्य होगी :-

| | |
|---|---|
| दिनांक 20.01.2020 से दिनांक 31.03.2020 तक आवेदन करने पर | कुल लीजडीड विलम्ब शुल्क का 60% धनराशि जमा करनी होगी अर्थात् विलम्ब शुल्क में 40% की छूट अनुमन्य होगी। |
|---|---|

ग- सम्पत्ति विभाग द्वारा ओटीएसओ के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों के निस्तारण विषयक:-

- ओटीएसओ योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों में प्रीमियम डिफाल्ट + 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर + लीजडीड विलम्ब शुल्क यथा आवश्यकता तीनों अथवा दो अथवा एक पर भी गणना की जाये।
- ओटीएसओ योजना के अन्तर्गत यदि आवंटी की प्रीमियम डिफाल्ट + 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर + लीजडीड विलम्ब शुल्क तीनों के सापेक्ष बकाया है तो तीनों (प्रीमियम डिफाल्ट + 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर + लीजडीड विलम्ब शुल्क) के आगणन के आधार पर देय धनराशि को आवंटी को एक मुश्त जमा करना होगा।
- ओटीएसओ योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों का निस्तारण सम्बन्धित विभाग आवेदन प्राप्त होने के 7 दिन के भीतर किया जाये।
- गणना उपरान्त वॉछित धनराशि को पत्र जारी किये जाने की तिथि से 15 दिन के भीतर आवंटी को जमा कराये जाने की सूचना, आवंटी द्वारा दिये गये पत्राचार पते व स्थाई पता तथा उसके मोबाईल नम्बर पर एसओएमएसओ/वॉट्सॉप के साथ-साथ ई-मेल, जो भी उपलब्ध हो, के माध्यम से दी जाये।
- ओटीएसओ योजना में गणना के उपरान्त यदि अधिक जमा (Surplus) धनराशि आती है तो उस धनराशि का समायोजन लीजडीड सम्बन्धी अन्य व्ययों में किया जा सकेगा। यदि इसके पश्चात भी धनराशि अवशेष बचती है तो उसे वापस न किया जाये।



ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

भूखण्ड संख्या - 01, सैक्टर - नॉलेज पार्क - 04, ग्रेटर नोएडा सिटी, जिला - गौतमबुद्ध नगर - 201310

6. ओटीएस योजना का लाभ केवल वे आवंटी ही प्राप्त कर सकते हैं, जिनके द्वारा किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार का कोई वाद दायर नहीं किया गया हो। यदि वे आवंटी भी इस योजना का लाभ लिये जाने के इच्छुक है तो उनको नियमतः सर्व प्रथम वाद वापस लिये जाने हेतु माओ न्यायालय में शपथ-पत्र दाखिल करना होगा। लम्बित वाद/याचिका को वापस लिए जाने के बाद उसकी सत्यापित प्रति प्राधिकरण कार्यालय में जमा करानी होगी, जिसके पश्चात ही ओटीएस योजना के अन्तर्गत आवेदन पर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

नोट:- ओटीएस योजना समाप्त अवधि के पश्चात ब्रोशर में उल्लिखित नियम व शर्तों के अनुसार अवशेष आवंटियों की नियमानुसार सूची बनाकर आवंटन निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाये।

उक्त आदेश मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन दिनांक 20.01.2020 के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जोकि तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(दीप चन्द्र)

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि :-

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (जी)।
3. विशेषकार्याधिकारी (एसओ के) / महाप्रबन्धक (वित्त)।
4. प्रभारी (सिस्टम) को प्राधिकरण वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु प्रेषित।
5. समस्त सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी को अनुपालनार्थ।
6. गार्ड फाइल।

22/01/2020

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी